eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

मानवाधिकार एवं घरेलू हिंसा

[1]प्रभाकर यादव
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर–राजनीतिशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय इन्दुपुर, गौरीबाजार, देवरिया, उ0प्र0

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

प्रस्तुत शोधपत्र घरेलू हिंसा एवं मानव अधिकार के सन्दर्भ में है। नारी की अवस्था के लिए सुखद स्थिति का प्रारम्भ ब्रिटिश युग में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई पर बल तथा नारी शिक्षा को महत्व देने से हुआ। दो महत्वपूर्ण आंदोलनों–सामाजिक सुधार आंदोलन तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ नारी की स्थिति में और सुधार हुआ। सामाजिक आंदोलन के मुख्य प्रणेता राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ,एम. जी. रानाडे, महात्मा फुले तथा अन्य थे जिनका मूल उद्देश्य था–सती प्रथा का विरोध, विधवा स्त्रियों की स्थिति में सुधार, विधवा विवाह,संपत्ति में अधिकार, बाल विवाह का विरोध, स्त्री शिक्षा का प्रचार – प्रसार इन सारे पहलुओं पर विचार–विमर्श ही वह मुख्य कुंजी है, जो धीरे – धीरे महिला समानता एवं विकास के सारे रास्ते खोलता चला गया। इसी समय सती विरोधी अधिनियम, विवाह एवं संपत्ति तथा बच्चों पर अधिकार से संबंधित कानूनों का निर्माण हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व वाला एवं उसके पूर्व का राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें नारी की जीवन पद्धति, विचार पद्धति एवं क्रिया पद्धति में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया। इस आंदोलन के साथ ही नारी शिक्षा, समानता एवं उसके अधिकार एवं सुधार के संवैधानिक अधिनियम एवं कानून बनाना भी उल्लेखनीय है। मूल रूप से विधवा पुर्नविवाह कानून 1856, बाल विवाह (शारदा एक्ट 1928) तथा अन्य संपत्ति के अधिकार से विधित कानून पास किए गए, जिसका सीधा प्रभाव नारी विकास पर पडा, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय उस समय जुड गया जब संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला के कार्य के घंटे, समान वेतन, रात में कार्य नहीं, खानों एवं खतरनाक कामों पर रोक, बच्चे के लिए पालनागृह की सुविधा प्रदान करना। इस तरह से महिला विकास के लिए शंखनाद कर दिया गया तथा यह भी बता दिया गया कि स्त्री विकास तभी संभव है जब शिक्षा, रोजगार, राजनीति में भागीदारी संगठित क्षेत्र में बढता कदम, स्वयं की पहचान को बढ़ावा देना।

शब्द संक्षेप– भारतीय समाज, मानव अधिकार, घरेलू हिंसा, एवं न्यायपूर्ण समाज।

Introduction

मानवाधिकार, वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, केवल मानव होने के कारण, या अंतर्निहित मानवीय भेद्यता के परिणामस्वरूप, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। उनका सैद्धांतिक औचित्य जो भी हो, मानव अधिकार मानवीय एजेंसी को बढ़ाने या मानव हितों की रक्षा करने के लिए सोचे गए मूल्यों या क्षमताओं की एक विस्तृत निरंतरता को संदर्भित करते हैं और चरित्र में सार्वभौमिक घोषित किए जाते हैं , कुछ अर्थों में वर्तमान और भविष्य के सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से दावा किया जाता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

ऐतिहासिक विकास– मानवाधिकार शब्द अपेक्षाकृत नया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने के बाद से ही रोजमर्रा की बोलचाल में आया है।यद्यपि मानवाधिकार के अधिकांश छात्र मानवाधिकार की अवधारणा की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस और रोम से मानते हैं, जहां के सिद्धांतों से यह निकटता से जुड़ा हुआ है। स्टोइक्स, जिन्होंने माना कि मानव आचरण को प्रकृति के कानून के अनुसार आंका जाना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए । इस दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण सोफोकल्स के नाटक एंटीगोन में दिया गया है , जिसमें शीर्षक चरित्र, अपने मारे गए भाई को दफन न करने के आदेश की अवहेलना करने के लिए राजा क्रेओन द्वारा फटकार लगाए जाने पर, दावा करता है कि उसने देवताओं के अपरिवर्तनीय कानूनों के अनुसार काम किया है। आंशिक रूप से क्योंकि स्टोइजिज्म ने इसके निर्माण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रोमन कानून ने इसी तरह एक प्राकृतिक कानून के अस्तित्व की अनुमति दी और इसके साथ–साथ जूस जेंटियम (''राष्ट्रों का कानून'') के अनुसार – कुछ सार्वभौमिक अधिकार जो नागरिकता के अधिकारों से परे विस्तारित थे। रोमन न्यायविदों के अनुसार उदाहरण के लिए, उलपियन – प्राकृतिक कानून वह था जिसका आश्वासन राज्य नहीं, बल्कि प्रकृति सभी मनुष्यों को देती है, चाहे वे रोमन नागरिक हों या नहीं।

हालाँकि, मध्य युग के बाद तक प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ा नहीं था । ग्रीको–रोमन और मध्ययुगीन काल में, प्राकृतिक कानून के सिद्धांत मुख्य रूप से ''मनुष्य'' के अधिकारों के बजाय कर्तव्यों से संबंधित थे। इसके अलावा, जैसा कि अरस्तू और सेंट थॉमस एक्विनास के लेखन में प्रमाणित है , इन सिद्धांतों ने दासता और दासता की वैधता को मान्यता दी और ऐसा करते हुए, मानव अधिकारों के शायद सबसे महत्वपूर्ण विचारों को बाहर कर दिया जैसा कि उन्हें आज समझा जाता है – स्वतंत्रता और समानता, प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मानव अधिकारों की अवधारणा कुछ बुनियादी सामाजिक परिवर्तनों द्वारा संभव हुई, जो धीरे–धीरे 13 वीं शताब्दी से यूरोपीय सामंतवाद के पतन के साथ शुरू हुई और पुनर्जागरण तक जारी रही। वेस्टफेलिया की संधि (1648), इस अवधि के दौरान धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक और आर्थिक बंधन का प्रतिरोध, प्राकृतिक कानून के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में शासकों की स्पष्ट विफलता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सांसारिक अनुभव के प्रति अभूतपूर्व प्रतिबद्धता और पुनर्जागरण ने मिलकर प्राकृतिक कानून की अवधारणा को कर्तव्यों से अधिकारों की ओर स्थानांतरित कर दिया। यूरोपीय महाद्वीप पर एक्विनास और ह्यूगो ग्रोसियस की शिक्षाएँ , मैग्ना कार्टा (1215), अधिकार की याचिका (1628), और इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकार विधेयक (1689) संकेत थे इस परिवर्तन का। इस प्रत्येक घटना ने इस बात की गवाही दी कि मनुष्य कुछ शाश्वत और अविभाज्य अधिकारों से संपन्न हैं, जिन्हें तब भी नहीं त्यागा गया जब मानव जाति ने प्राकृतिक अवस्था से सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए ''अनुबंध'' किया और ''राजाओं के दैवीय अधिकार'' के दावे से कभी कम नहीं हुए।

घरेलू हिंसा– घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। इस शब्द को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें पति या पत्नी, बच्चों या बुजुर्गों तथा ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने आते हैं। पीड़ित के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई

जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक शोषण, गाली–गलौज, ताना मारना आदि शामिल हैं। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी प्रचलित है। घरेलू हिंसा हमारे छद्म सभ्य समाज का प्रतिबिंब है। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं, वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिये एक विरासत बनती जा रही है। इस आलेख में घरेलू हिंसा के कारणों, समाज और बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा समस्या समाधान के उपाय तलाशने का प्रयास किया जाएगा। घरेलू हिंसा अर्थात् कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ति महिला किसी भी वयस्क पुरुष को अभियोजित कर सकती है अर्थात उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है।

भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप– भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार, घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं–

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा– किसी महिला को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा देना जैसे– मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना, महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिये विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरुद्ध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार, लगभग दो–तिहाई विवाहित भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं और भारत में 15–49 आयुवर्ग की 70 प्रतिशत विवाहित महिलाएँ पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं।

पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा– इस तथ्य पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर और बड़ी समस्या है, लेकिन भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी धीरे–धीरे बढ़ रही है। इसका उदाहरण हाल ही में चंडीगढ़ और शिमला में इकट्ठा हुए सैकड़ों पुरूषों द्वारा अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाव और सुरक्षा की गुहार है।

बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा– हमारे समाज में बच्चों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। बच्चों का शारीरिक, मानसिक व यौन शोषण बच्चों के खिलाफ हिसां के प्रमुख

प्रकार हैं। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किये गए मामलों की संख्या में दूसरा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में बहुत भिन्नता है। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक निजी है और घरों की चार दीवारों के भीतर छिपा हुआ है। बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा– घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से तात्पर्य उस हिंसा से है जो घर के बूढ़े लोगों के साथ बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। एकल परिवार की अवधारणा एवं उपभोक्तावाद ने बुजुर्ग मॉ–बाप को बोझ बना दिया। बुजुर्गों के साथ मार–पीट करना, उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना इस तरह की हिंसा में शामिल है। बुजुर्गों के विरुद्ध हिंसा भारत में अत्यधिक संवेदनशील होती जा रही है।

घरेलू हिंसा के कारण– महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण पुरूषवादी संकीर्ण मानसिकता है। जिसमें यह माना जाता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होती हैं। इसके अलावा अधिक दहेज की चांह, महिलाओं का प्रत्युत्तर देना, बॉझपन, यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, ससुराल वालों की उम्मीद पर खरा न उतरना, सास–ससुर की सेवा न करना इत्यादि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के कारण हैं। पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के आदेशों का पालन न करना, पुरुषों की कम आय, विवाहेत्तर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद न करना, अवारागर्दी करना, बच्चों की उचित देखभाल न करना, पत्नी के परिवारवालों को भला–बुरा कहना, नपुंसकता आदि हैं। बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता–पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन या पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी नहीं कर पाना, माता–पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस करना, माता–पिता का जीवित न होना या माता–पिता दोनों का अथवा किसी एक का दुर्व्यवसनी होना इत्यादि हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में बाल श्रम, शारीरिक शोषण या पारिवारिक परंपराओं का पालन न करने के लिये उत्पीड़न, उन्हें घर पर रहने के लिये मजबूर करना और उन्हें स्कूल जाने की अनुमति न देना, मारना–पीटना इत्यादि हो सकते हैं। पैसे के लिये आर्थिक रूप से कमजोर माता–पिता द्वारा मंदबुद्धि बच्चों के शरीर के अंगों को बेचने की खबरें भी मिलती रहती हैं जोकि बच्चों के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की उच्चता को दर्शाता है।

बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में बूढ़े माता–पिता का बीमार रहने पर दवा के खर्चों को झेलने में बच्चों का झिझकना, उनके द्वारा कोई कार्य करने में असमर्थ होना, जिस कारण बच्चे उनको परिवार पर आर्थिक बोझ समझने लगते हैं इत्यादि। ऐसे में बच्चे अपने माता–पिता को भावनात्मक रूप से पीड़ित करते हैं, संपत्ति हथियाने के लिए यातना देते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिये उनकी पिटाई करते हैं।

घरेलू हिंसा के प्रभाव– यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिये इस डर से बाहर आ पाना अत्यधिक कठिन होता है। अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। उस व्यक्ति को स्थिर

जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू यह है कि इससे पीड़ित व्यक्ति मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या फिर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। घरेलू हिंसा की यह सबसे खतरनाक और दुखद स्थिति यह है कि जिन लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं और जिनके साथ रहते हैं जब वही हमें इस तरह का दुख देते हैं तो व्यक्ति का रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है और वह स्वयं को अकेला पाता है। ऐसी स्थिति में कई बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। घरेलू हिंसा का सबसे व्यापक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जिससे उनकी सीखने की क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता और भावनात्मक विनियमन की शक्ति प्रभावित हो जाती है। बालक लड़ाकू, हिंसक व अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं तथा बालिकाएँ नकारात्मक व्यवहार सीखती हैं और वे प्रायः दब्बू, चुप–चुप रहने वाली या परिस्थितियों से दूर भागने वाली बन जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि हिंसा की शिकार हुई महिलाएँ समाजिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों में कम भाग लेती हैं।

समाधान के उपाय– शोधकर्त्ताओं के अनुसार, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकाल सकते हैं। भारत अभी तक इस तरह की हिंसा से सम्बंधित मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ा हुआ है। हम अभी तक विशेषज्ञों के इस दृष्टिकोण को साफ तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि ”महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिये पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मसले के समाधान के आवश्यक अंग के तौर पर देखना होगा।“ सुधार लाने के लिये सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि ”पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने“ के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। महिलाओं का सम्मान करने, मर्दानगी की भावना को सकारात्मक रूप से बढ़ावा देने और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ घिसे–पिटे परम्पराओं से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा।

सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है कि इसका व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाए जिससे कि पीड़ित व्यक्ति निडर और निःसंकोच अपने प्रति हो रहे हिंसा का प्रतिरोध कर सके व अपराधी को दण्ड दिला सके। साथ ही सरकार ने 'वन–स्टॉप सेंटर'(सखी) जैसी योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महियाओं व लड़कियों को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, कानूनी सहायता, चिकित्सा और काउन्सलिंग उपलब्ध करायी जायेगी। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये जहॉ वोग इंडिया द्वारा 'लड़के रुलाते नहीं' अभियान चलाया गया वहीं वैश्विक मानवाधिकार संगठन 'ब्रेकथ्रू' द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ 'बेल बजाओ' अभियान चलाया गया। ये दोनों ही अभियान महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिये निजी स्तर पर किये गए शानदार प्रयास थे।

सुझाव :–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

▷ महिला शिक्षा को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है जिससे वे समाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

▷ सरकार एवं परिवार को महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

▷ घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के व्यापक प्रचार–प्रसार की जरूरत है जिसके लिए सरकार व गैर–सरकारी संगठनों द्वारा संगोष्ठी/सेमिनार का अयोजन किया जाना चाहिए एवं महिलाओं को उनके सम्पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए।

▷ मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण करके एवं समाज के परम्पराग एवं रुढिवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने से ही लैगिंक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अहूजा, राम (2008). सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर।
2. श्रीवास्तव, सुधारानी (2009). "महिला उत्पीडन और वैधानिक उपचार" ,प्रकाशक अर्जुन पब्लिशिंग हाउस अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।
3. सक्सेना, अल्का एवं गुप्ता, चन्द्र सुभाष(2011) "पारिवारिक प्रताड़ना एवं महिलाएं", प्रकाशक राधा पब्लिकेन्स, 4231/1 अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।
4. रिजवी, आबिद आबिद(2012). "महिला अधिकार कानून तुलसी साहित्य", पब्लिकेन्स मांधी मार्ग निकट ओडियन सिनेमा, मेरठ(उत्तर प्रदेश) ।
5. नवभारत टाइम्स
6. संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन,प्रतियोगिता साहित्य सीरीज
7. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की साइट– wcd.nic.in